



# THE STUDY

DAILY ARTICLE

An Institute for IAS

## HISTORY

BY

MANIKANT SINGH

### लोकसभा सांसद की अयोग्यता

#### चर्चा में क्यों?

- ◆ केरल के वायनाड क्षेत्र के कांग्रेस नेता और संसद सदस्य राहुल गांधी की अयोग्यता के संबंध में संवैधानिक और कानूनी मुद्दों पर बहस छिड़ गई है।

#### पृष्ठभूमि

- ◆ सूरत में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी को एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया और उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गयी।
- ◆ कर्नाटक में 2019 के संसदीय चुनावों के प्रचार के दौरान राहुल गाँधी द्वारा "सभी चोरों के पास मोदी उपनाम क्यों है" की गयी टिप्पणी पर यह सजा दी गई।
- ◆ इसके पश्चात लोकसभा सचिवालय द्वारा राहुल गांधी को संविधान के अनुच्छेद 102 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लेख करते हुए अयोग्य ठहराते हुए एक नोटिस जारी किया गया।

#### आभा मुरलीधरन बनाम भारत संघ

- ◆ राहुल गांधी की दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) की धारा 8(3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है।
- ◆ धारा 8(3) एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने पर सांसद या राज्य विधानसभा से विधायक की स्वतः अयोग्यता का प्रावधान करती है। इसके अतिरिक्त कहा गया है कि एक व्यक्ति जिसे किसी अपराध का दोषी पाया गया है और कम से कम दो साल की सजा दी गई है, उसे उनकी सजा के दिन से और उनकी रिहाई के बाद अतिरिक्त छह साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

- ◆ दायर याचिका के अनुसार धारा 8 (3) संविधान के अधिकार से अलग है क्योंकि यह एक निर्वाचित सांसद या विधायक की भाषण की स्वतंत्रता को कम करती है और कानून निर्माताओं को अपने कर्तव्यों का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करने से रोकती है।
- ◆ याचिका के अनुसार RPA, 1951 के तहत अयोग्यता पर विचार करते समय प्रकृति, गंभीरता, नैतिकता और आरोपी की भूमिका जैसे कारकों की जाँच की जानी चाहिए।

## संसद के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

- ◆ भारत के संविधान का अनुच्छेद 102(1) निम्नलिखित शर्तों पर संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्यता निर्धारित करता है:
  - ◆ यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो।
  - ◆ यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।
  - ◆ यदि वह दिवालिया घोषित हो।
- ◆ अनुच्छेद 102(2) के अनुसार एक व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा, यदि वह 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है।
- ◆ संसद ने RPA, 1951 में विधायिका के एक सदस्य की कई अतिरिक्त अयोग्यताएं भी निर्धारित की हैं।

## RPA, 1951 क्या है?

- ◆ अयोग्यता RPA, 1951 की धारा 8(1) में सूचीबद्ध कुछ अपराधों के तहत सजा के लिए शुरू होती है।
- ◆ इसमें विशिष्ट अपराध शामिल हैं, जैसे- दो समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, रिश्वतखोरी और चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण।
- ◆ RPA, 1951 की धारा 8(2) उन अपराधों को भी सूचीबद्ध करती है जिनमें जमाखोरी या मुनाफाखोरी, भोजन या दवाओं में मिलावट और दहेज निषेध अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत अपराध के लिए कम से कम छह महीने की सजा शामिल हैं।
- ◆ RPA, 1951 की धारा 8(3), वह प्रावधान है जिसके तहत राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया है।

- ◆ RPA 1951 की धारा 8(4) में कहा गया है कि दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्यता केवल "तीन महीने बीत जाने के बाद" प्रभावी होती है।
- ◆ उस अवधि के भीतर, विधायक उच्च न्यायालय के समक्ष सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं।
- ◆ 2013 में 'लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' के ऐतिहासिक फैसले में, SC ने RPA की धारा 8 (4) को असंवैधानिक करार दिया।
- ◆ इसी ने लोकसभा सचिवालय को राहुल गांधी को तुरंत अयोग्य घोषित करने की अनुमति दी है।
- ◆ हालांकि, लिली थॉमस मामले में अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब एक अपीलीय अदालत दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाती है, तो अयोग्यता हटा दी जाएगी और अयोग्य सांसद को सदस्यता बहाल कर दी जाएगी।

### **RPA की धारा 8(3) की जाँच करना**

- ◆ RPA की धारा 8(3) का एक सतही दृश्य इस बात पर प्रकाश डालता है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा विधायिका के सदस्य की सजा की घोषणा करते ही, विधायिका में उसकी सीट अनुच्छेद 101(3)(ए) के तहत रिक्त हो जाएगी।
- ◆ हालांकि, RPA अधिनियम की धारा 8(3) को करीब से पढ़ने से पता चलता है कि इसमें इस्तेमाल किए गए शब्द "अयोग्य होंगे" का मतलब तत्काल अयोग्यता नहीं हो सकता है।
- ◆ लेकिन धारा 8 (3) यह निर्दिष्ट नहीं करती है कि कौन सा प्राधिकरण, विधायिका के मौजूदा सदस्य को अयोग्य घोषित करेगा।
- ◆ हालाँकि, वह संसद के किसी सदन का महासचिव या किसी राज्य विधानमंडल का सचिव नहीं हो सकता, बल्कि राष्ट्रपति हो सकता है।
- ◆ अनुच्छेद 103 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति वह प्राधिकारी हैं जो यह निर्णय लेते हैं कि एक मौजूदा सदस्य अनुच्छेद 102(1) के तहत आने वाले सभी मामलों में अयोग्यता के अधीन हो गया है।
- ◆ इसलिए, लोकसभा सचिवालय अनुच्छेद 103 के तहत मामले को घोषणा के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे बिना मौजूदा सांसद को अयोग्य घोषित नहीं कर सकता है।

## अनुच्छेद - 103

- ◆ इस अनुच्छेद को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब अयोग्यता के तथ्य पर विवाद उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं।
- ◆ लेकिन यह अनुच्छेद RPA, 1951 की धारा 8 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए सजा पर उत्पन्न होने वाली अयोग्यता को कवर करता है।
- ◆ सुप्रीम कोर्ट ने कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले (2009) में यह कहते हुए इसे बरकरार रखा कि राष्ट्रपति न्यायिक और घोषणात्मक कार्य करता है।
- ◆ इसलिए, ऐसे मामलों में जहाँ अधिनिर्णय की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति केवल यह घोषणा कर सकते हैं कि मौजूदा सदस्य अयोग्यता के अधीन हो गया है।
- ◆ लेकिन राष्ट्रपति का हस्तक्षेप अनुच्छेद 103 के तहत उन मामलों में भी आवश्यक है जहाँ एक मौजूदा सदस्य को दोषी ठहराया गया है और अयोग्यता को सजा की तारीख से प्रभावी माना जाता है।

## लिली थॉमस जजमेंट की सीमाएं

- ◆ इस फैसले में कहा गया कि संसद, विधानमंडल के मौजूदा सदस्यों के पक्ष में अस्थायी छूट नहीं दे सकती है।
- ◆ लेकिन अनुच्छेद 103 स्वयं मौजूदा सदस्यों के मामले में एक अपवाद प्रदान करता है कि मौजूदा सदस्यों की अयोग्यता राष्ट्रपति द्वारा तय की जाएगी, जिससे संविधान स्वयं उम्मीदवारों और मौजूदा सदस्यों के बीच अंतर करता है।
- ◆ इसे लिली थॉमस के फैसले द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था, जबकि अदालत ने मौजूदा सदस्यों को उनकी सजा के खिलाफ अपील करने में सक्षम बनाने के लिए दी गई तीन महीने की खिड़की को रद्द कर दिया था।
- ◆ इसके अलावा, विधायिका के मौजूदा सदस्यों के पक्ष में इस तरह की अस्थायी छूट की उचित आवश्यकता है क्योंकि उन्हें एक उम्मीदवार के समान स्थिति में नहीं रखा जाता है।
- ◆ अचानक अयोग्यता इस तथ्य के अलावा बहुत अधिक अव्यवस्था का कारण बनेगी कि निर्वाचन क्षेत्र अपना प्रतिनिधि खो देगा।